ायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

ं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
/20	01.12.20	23.2.22

उनवान

ाचन्द उम्र करीब 67 साल पुत्र श्री हीरालाल
सिंह उम्र करीब 69 साल पुत्र श्री हीरालाल
मीचन्द उम्र करीब 63 साल पुत्र श्री हीरालाल
स्त जाति अहीर निवासी ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

ाजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान जिला कलेक्टर साहब अलवर ।
ाजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढ—बास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज अर्न्तगत धारा 88,89
राज.टी.ऐ. 1955

स्थितिः— 1. श्री सूरजभान वकील वादी की ओर से
2. जवाब पैरोकार सरकार

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—
वकील वादी ने दावा पेश कर निवेदन किया है कि आराजी साबिक ख0 नं0 206 रकबा बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढ—बास है जिसका हाल ख0 नं0 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बना है । वास्ते मुलाहिजा नक्ल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है । ााबिक ख0 नं0 206 सदैव से गे0मु0 रास्ता रहा है । जिसका इन्द्राज जमाबंदी समवत्)20 से 2022 मे हो रहा है तथा मौका पर सदैव से रास्ता जारी रहा है आज भी मौका पर स्ता है तथा नक्शा एक्स पर्चा में रास्ता दर्शाया हुआ है जो पूरब से पश्चिम जारी है । कल जमाबंदी व नकल नक्शा मे संलग्न है ।

वादीगण की आराजी ख0न0 88, 89 खातेदारी स्थित है। जिसमें वादीगण ने ट्यूबवैल लगाया हुआ है कृषि कार्य हेतु मकानात बनाये हुये है। रिहायश भी की हुई है। पशु आदि बाधाते है। ओर इसी रास्ता से आवागमन जारी है। तथा रास्ता का उपभोग उपयोग कर रहे है। वास्ते मलाहिजा नकल जमाबंदी संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने विवादित रास्ता ख0 नं0 312 ग0मु0 रास्ता का अंकन हजफ करते हुऐ इसे चारागाह का अंकन कर दिया जो सरासर मौका के व पूर्व के रिकार्डस् ऑफ राइटस के विपरीत है जबकि पूर्व में गे0मु0रास्ता अंकन हो रहा है व नक्शा ट्रेस में भी गे0मु0रास्ता ही दर्शाया हुआ है इसलिये यह चारागाह का अंकन सरासर गलत है जिसके कारण वादीगण के हकूको पर कुठाराघात होता है और वादीगण को ही विशेष तौर पर हानी होती है जो अपनी आराजीयाम मकानात टयूबैल आदि का सही प्रकार से आवागमन उपभोग उपयोग नही कर पावेगें। इसलिए वादीगण को अपने हितो की रक्षार्थ वादी प्रस्तुत करना लाजिम आया है और वादीगण हाल ख0 नं0 312 को गे0मु0रास्ता दुरूस्त कराने के अधिकारी है जिसकें लिए वाद पेश करना लाजिम आया है । वादीगण को गलत अंकन का ज्ञान माह अक्टूबर मे पटवारी हल्का के पास जमाबंदी की नकल लेने जाने पर हुआ जिस पर वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अपने वकील साहब के मारफत प्रतिवादीगण को दिनांक 28.10.2020 को रजि0 डाक से नोटिस दिलाये जो प्रतिवादीगण का प्राप्त हो गयें। मगर प्रतिवादीगण द्वारा दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया। इसलिए वादीगण को न्यायालय श्रीमान की शरण में वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः–

(अ) डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी हाल ख0 नं0 312 रकबा 0.3541हे0 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढ–बास को गे0मु0रास्ता घोषित करते हुए चारागाह का अंकन हजफ किया जाकर हाल जमाबंदी में गे0मु0रास्ता का अंकन किया जावे।

(ब) अन्य सहायता अता फरमाई जावे कृपा होगी।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट पेश की गई । मौका रिपोर्ट आने पर तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। वादीगण ने साक्ष्य में पी. डब्लू–1 स्वयं का शपथ पत्र, पी.डब्लू–2 अजीतसिंह, पी.डब्लू–3 कर्णसिह के ब्यान कराए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2029, प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2020–22 , प्रदर्श–3 एक्स पर्चा , प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–5 नोटिस तहसीलदार किशनगढबास 80(2) पेश की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

वकील वादी की बहस सुनी गई । वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये बताया कि मिलान क्षेत्रफल में हाल ख0न0 312 के साबिक ख न0 206मिन गै0मु0रास्ता दर्ज है।मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी संवत 2020–22 में साबिक ख0न0 206 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। तथा नक्शा ट्रैस में भी गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है। तथा मौके पर भी रास्ता है। जो अवागमन के काम आ रहा है। लेकिन हाल जमाबंदी में आराजी ख0न0 312 को गै0मु0 चारागाह दर्ज कर दिया। जिसे हजफ किया जाकर गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे।

वकील वादीगण की बहस पर मनने किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से हैः–

तनकी नं0ः–1

आया आ0ख0न0 312 रकबा 0.3541 हे0 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर गै0मु0 रास्ता है। जिससे वादीगण का आवागमन है जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकरी है ।इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2020–22 के अवलोकन से साबित है कि साबिक ख0न0 206 मिन गैर मु0रास्ता दर्ज था। तथा नक्शा ट्रैस में भी आराजी हाल ख0न0 312 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जिससे साबित होता है कि आराजी ख0न0 312 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड था जिससे भू– प्रबंधक विभाग ने चारागाह दर्ज कर दिया। जिसे हजफ किये जाने योग्य है सैटलमेंट को किस्म परिर्वन करने का अधिकार नही है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वादीगण का वाद भली भांति साबित होता है। वाद डिक्री किया जाना कानून संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल आराजी ख0न0 312 रकबा 0.3541 वाके ग्राम माछरोली को गै0मु0 रास्ता घोषित करते हुए चारागाहा का अंकन हजफ किया जाकर हाल जमाबंदी में गै0म0 रास्ता का अंकिन किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
156 /20	01.12.20	23.2.22

उनवान

पुरणचन्द उम्र करीब 67 साल पुत्र श्री हीरालाल
रामसिंह उम्र करीब 69 साल पुत्र श्री हीरालाल
लख्मीचन्द उम्र करीब 63 साल पुत्र श्री हीरालाल
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान जिला कलेक्टर साहब अलवर ।
राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढ—बास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज अर्न्तगत धारा 88,89
राज.टी.ऐ. 1955

उपस्थितिः— 1. श्री सूरजभान वकील वादी की ओर से
2. जवाब पैरोकार सरकार

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 312 रकबा 0.3541 वाके ग्राम माछरोली को गै0मु0 रास्ता ...ित करते हुए चारागाहा का अंकन हजफ किया जाकर हाल जमाबंदी में गै0म0 रास्ता का अंकन किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)